### <u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—290 / 2011</u> <u>संस्थित दिनांक—23.05.2011</u> फाईलिंग क.234503002202011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

<u>अभियोजन</u>

#### / / <u>विरूद</u> / /

बालकराम पिता खेलुराम इनवाते, उम्र—25 वर्ष, साकिन—नारंगी, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

# 

- 1— आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25(क)(क—ख) सहपिटत धारा—3 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—19.01.2011 को 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत स्थान ग्राम नारंगी में खेलूराम के मकान में एक भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुए पाए गए।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—19.01.2011 को थाना रूपझर में पदस्थ निरीक्षक ए.वी.सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नारंगी निवासी आरोपी खेलूराम इनवाते अपने घर में अवैध रूप से दो भरमार बंदूके रखे हुए है। उक्त सूचना के आधार पर मुखबिर के बताए अनुसार वह ग्राम नारंगी पहुंचा तो उसे आरोपी खेलूराम इनवाते तथा उसके पुत्र बालकराम इनवाते ने अपने मकान की तलाशी दी और गवाहों के समक्ष आरोपी बालकराम के कमरे में तथा आरोपी खेलूराम के कमरे में एक—एक भरमार बंदूक रखी हुई मिली, जिनका उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। आरोपीगण से मौके पर बंदूके जप्त की गई तथा आरोपीगण के द्वारा अवैध रूप से भरमार बंदूक रखने एवं उसका लायसेंस नहीं होने के कारण आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध कमांक 11/2011, अंतर्गत धारा—25 आर्म्स एक्ट कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— प्रकरण में आरोपी खेलूराम के फौत हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

4— आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25(क)(क—ख) सहपिठत धारा—3 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया।

## 5— प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—19.01.2011 को 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत स्थान ग्राम नारंगी में खेलूराम के मकान में एक भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुए पाए गए ?

## : : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

अनुसंधानकर्ता ए.वी. सिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है 6-कि वह दिनांक-19.01.11 को थाना रूपझर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नारंगी का खेलूराम इनवाते अपने घर में अवैध रूप से दो भरमार बंदूक रखे हुए है। उक्त सूचना पर वह फोर्स व मुखबीर के साथ ग्राम नारंगी पहुंचा, जहां खेलूराम तथा उसके पुत्र बालकराम को साथ लेकर उनके मकान का ताला खुलवाया, जिसके बाबद् ताला खोलने का पंचनामा प्रदर्श पी–2 साक्षी फागूलाल एवं मन्नूलाल के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके एवं बालकराम और खेलूराम के हस्ताक्षर लिये थे। साक्षी फागूलाल तथा मन्नूलाल के समक्ष मकान की तलाशी लेने पर बालकराम के कमरे के उपर छज्जे पर एक भरमार बंदूक रखी हुई मिली थी। उक्त बंदूक को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके और आरोपी बालकराम के हस्ताक्षर लिये थे। तलाशी में खेलूराम के कमरे के उपर छज्जे में एक भरमार बंदूक रखी हुई मिली थी। दोनों ने भरमार बंदूक रखने के संबंध में कोई लाईसेंस पेश नहीं किया। खेलूराम से उक्त भरमार बंदूक की जप्ती साक्षियों के समक्ष जप्त की थी एवं प्रदर्श पी-4 का दस्तावेज तैयार किया था, जिस पर उसके व सी से सी भाग पर आरोपी खेलूराम के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं 7 तैयार किया था, जिस पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगण के रिश्तेदार मनोज को दी गई थी, जिसकी एक प्रति चालान के साथ संलग्न किया था। साक्षियों के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापस थाना आकर आरोपीगण के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-11/11, धारा-25 बी आर्म्स एक्ट के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा भरमार बंदूक को परीक्षण हेतु रक्षित केन्द्र बालाघाट भेजा था। परीक्षण पश्चात् प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 चालान के साथ संलग्न किया था। आरोपीगण के विरुद्ध चालान पेश करने हेतु अभियोजन की स्वीकृति तत्कालिक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालाघाट का आदेश प्राप्त किया था, जिस आदेश की प्रति चालान के साथ संलग्न किया है।

- 7— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने प्रदर्श पी—8 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने फरियादी की हैसियत से लेख की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के विषय में जाने के समय का रोजनामचा सान्हा प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्तशुदा सामग्री मौके पर ही सीलबंद की गई थी, इस संबंध में कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तशुदा बंदूकों को जप्त करते समय सीलबंद करने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अंतिम प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर आसपास बने मकान अथवा निवासियों का उल्लेख, जिन्हों मौकेनक्शे में दिखाया गया हैं, उन्हें प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है। साक्षी का यह कहना है कि वे लोग साक्षी बनने को तैयार नहीं थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने रंजिशवश आरोपीगण को झूठा फंसाया है और विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैटकर की थी।
- 8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी के.पी. मिश्रा अ.सा.4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—22.01.2011 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप.क—11/11, अंतर्गत धारा 25 बी आर्म्स एक्ट का प्रथम सूचना प्रतिवेदन की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी फागूलाल एवं मन्नुलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किये थे।
- 9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी शिवकुमार अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 2010 से रक्षित केन्द्र बालाघाट में आरमोरर के पद पर पदस्थ था। अपराध कमांक—11/11 के अंतर्गत थाना रूपझर से जप्तशुदा दो भरमार बंदूकों को उसके समक्ष सीलबंद कर परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसमें उसमें उसने पाया था कि एक देशी भरमार बंदूक सींगल बेरर की जिसकी लंबाई 3 सहीं 1/2 फुट थी तथा बंदुक का हैमर बांए तरफ लगा हुआ था, सीलींग नहीं थी, बंदूक चालू हालत में थी एवं बंदूक लोडेड पाई गई थी। बैरर में बारूद, कपड़े, एक सीसे का टुकड़ा पाया गया था। एक और देशी भरमार बंदूक जिसकी लंबाई करीब 3 सही 1/3 फुट थी, जिसमें सीलीं नहीं थी और हैमर बांए तरफ लगा हुआ था और भरमार बंदूक चालू हालत में थी। उक्त बंदूकें किसी फैक्ट्री द्वारा निर्मित नहीं थी, हाथों से निर्मित थी। उक्त बंदूकों से जंगली जानवर का शिकार एवं मानव जीवन को हानि पहुंचाई जा सकती है। उसने दोनों बंदूकों का परीक्षण कर सीलबंद कर थाना रूपझर रवाना किया था। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे परीक्षण के लिए हथियार सीलबंद अवस्था में नहीं मिले थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरमोरर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उसकी नियुक्ति इस पद पर हुई थी।

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी फागूलाल अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना का पंचनामा, जप्ती की कार्यवाही, मौकानक्शा, गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक—19.01.2011 को वह थाना प्रभारी के साथ ग्राम नारंगी गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी खेलूराम के मकान में तलाशी लेने पर बंदूक मिली थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि ताला खोलने का पंचनामा प्रदर्श पी—2, जप्ती के संबंध में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—4 तथा मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में बनाए गए दस्तावेज प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया। साक्षी ने स्वीकार किया कि इन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर थे और इस विषय में उसने कहा है कि पुलिस ने उसे थाना पर बुलाया था और उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रूपझर में थाने के पास ही उसका मकान है और पुलिसवालों उसे थाने पर हस्ताक्षर कराने बुलाते हैं।

अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मन्नूलाल अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन 11— परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष पंचनामा, जप्ती, मौकानक्शा व गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक-19.01.2011 को वह थाना प्रभारी के साथ ग्राम नारंगी गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी खेलूराम के मकान में तलाशी लेने पर बंदूक मिली थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि ताला खोलने का पंचनामा प्रदर्श पी-2, जप्ती के संबंध में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 तथा मौकानक्शा प्रदर्श पी-5 तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में बनाए गए दस्तावेज प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया। साक्षी ने स्वीकार किया कि इन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर थे और इस विषय में उसने कहा है कि पुलिस ने उसे थाना पर बुलाया था और उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रूपझर में थाने के पास ही उसका मकान है और पुलिसवालों उसे थाने पर हस्ताक्षर कराने बुलाते हैं। उपरोक्त अभियोजन साक्षी मन्नूलाल अ.सा.३, फागूलाल अ.सा.२ ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्होंने प्रदर्श पी-2 लगायत 7 दस्तावेजों पर पुलिस थाने पर हस्ताक्षर किये थे और हस्ताक्षर करते समय दस्तावेज पर कुछ लिखा नहीं था।

प्रकरण में आरोपी खेलूराम की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है। सर्वप्रथम यदि विवेचक ए.व्ही. सिंह अ.सा.५ की साक्ष्य पर विचार किया जावे तो विवेचक ने विवेचना में की गई जप्ती, गिरफ्तारी, मौके का पंचनामा, गवाहों के कथन इत्यादि की कार्यवाही अपने मुख्य परीक्षण में प्रमाणित की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी ने यह कहा है कि उसने घटना के समय मौके पर ही जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया था, परंतु सीलबंद किये जाने के विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा जप्ती पंचनामे का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने नमूना सील भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से इंकार किया है। आमोरर शिवकुमार अ.सा.1 ने उसके द्वारा की गई कार्यवाही को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है और स्पष्टतः यह कहा है कि उसने दो भरमार बंदूक का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। स्वतंत्र साक्षी जिनके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी, वे अभियोजन साक्षी फागूलाल अ.सा.2, मन्नूलाल अ.सा.3 ने संपूर्ण अभियोजन कहानी से इंकार कर यह कहा है कि उनके समक्ष आरोपीगण के पास से न तो भरमार बंदूक जप्त की गई थी और न ही वे घटनास्थल पर गए थे तथा न ही इस संबंध में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा इस प्रकार विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्णतः असमर्थन कर यह कहना है कि वे पुलिस थाने के पास रहते हैं, इसलिए पुलिस वालें उनसे कभी भी हस्ताक्षर दस्तावेजों पर करा लेते हैं। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि जो बंदूक जप्त की गई थी, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उस पर आर्टिकल अंकित कराया गया है। ''माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने अपने न्यायदृष्टांत काले बाबू विरूद्ध स्टेट ऑफ, एम.पी. 2008(4) एम.पी.एच.टी. 397 में प्रतिपादित किया गया है कि जब्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उसके महत्व को खो देती है और आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है"इस प्रकरण में भी जप्त भरमार बंदूक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उस पर आर्टिकल अंकित कराया है। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए घटना दिनांक को आरोपी बालकराम द्वारा अपने आधिपत्य में निषेधित हथियार भरमार बंदूक रखी गई थी, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर आयुध अधिनियम की धारा–25(क)(क–ख) एवं सहपठित धारा–3 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी बालकराम दिनांक-20.01.2011 से दिनांक-25.01.2011 तक 13-न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की 14-धारा–437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

प्रकरण में जप्तशुदा भरमार बंदूक प्रदर्श पी-3 व 4 अनुसार जिला 15-दण्डाधिकारी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु भेजी जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया |

मेरे निर्देश पर टंकित किया

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट ALIMAN POTO DE LA STATION DE L